

पटना में दिनांक-09 दिसम्बर, 2014 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

गृह (आरक्षी) विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 1. | पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना के कार्यालय के संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 29 (उन्तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

गृह विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | दिनांक-12.10.2012 को मधुबनी शहर में प्रशान्त कुमार झा नामक लड़के की गुमशुदगी को लेकर हुई हिंसात्मक घटनाओं की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम एवं घटना की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष परिस्थितियों एवं पुलिस द्वारा गोली चालन के औचित्य की जाँच एवं आवश्यकतानुसार उत्तरदायित्व के निर्धारण की न्यायिक जाँच हेतु गठित मधुबनी पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग द्वारा दिनांक-30.09.2014 को अंतिम जाँच प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किये जाने के पश्चात् जाँच प्रतिवेदन पर कृत -कार्रवाई (ए०टी०आर०) संबंधी प्रतिवेदन पर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

गृह विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 5. | बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2014 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 6. | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना में कनीय अभियंता (असैनिक) के 204 (दो सौ चार) एवं कनीय अभियंता (यांत्रिक) के 30 (तीस) सम्पूर्ण योग 204+30 = 234 (दो सौ चौतीस) स्थायी रिक्त पदों के विरुद्ध समय-समय पर पारिश्रमिक के निमित्त सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर कनीय अभियंताओं को मात्र एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

श्रम संसाधन विभाग

7. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ संलग्न कार्यालयों में अनुदेशक संवर्ग के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं अन्य शर्तों के निर्धारण हेतु श्रम संसाधन विभाग के निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीनस्थ बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली-2013 अधिसूचना संख्या-2263 दिनांक-19.07.2013 में संशोधन के संबंध में।

7. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

8. डा० श्रीप्रकाश तिवारी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कैसरिया पूर्वी चम्पारण को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने तथा निलम्बन की अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त इन्हें कोई वेतनादि भुगतान नहीं होने के दंड प्रस्ताव पर सहमति के संबंध में।

8. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. नवादा जिलान्तर्गत अंचल हिसुआ के मौजा-मंझवे के थाना सं०-95, खाता सं०-403, खेसरा सं०-2632, रकबा-50 डिसमिल अनाबाद बिहार सरकार की भूमि बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 50,00,000/- (पचास लाख) रु० सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 62,50,000/- (बासठ लाख पचास हजार) रु० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 1,12,50,000/- (एक करोड़ बारह लाख पचास हजार) रु० के भुगतान पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण।

9. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. नवादा जिलान्तर्गत अंचल नवादा के मौजा-पौरा टोला, मायाबिगहा, थाना सं०-548, खाता सं०-390, खेसरा सं०-1601, रकबा-0.50 एकड़ पुरानी परती अनाबाद सर्वसाधारण भूमि बी०आर०जी०एफ० (विशेष योजना) फेज-01 के तहत 18,25,000/- (अठारह लाख पच्चीस हजार) रु० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 22,81,250/- (बाइस लाख इक्कासी हजार दो सौ पचास) रु० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 41,06,250/- (इकतालीस लाख छः हजार दो सौ पचास) रु० के भुगतान पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण।

10. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

11. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत प्रस्थापना व्यय हेतु कुल ₹ 94,96,034.00 (चौरानवे लाख छियानवे हजार चौतीस) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। 11. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

13. भारतीय संविधान के 121वें संशोधन विधेयक, 2014 को राज्य विधान मंडल के समक्ष उपस्थापन के संबंध में। 13. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना अंतर्गत विभागीय प्रोत्साहन नीति के माध्यम से राज्य में चीनी एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास से संबंधित स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अनुदान/प्रतिपूर्ति हेतु कुल 24,17,74,069.00 (चौबीस करोड़ सतरह लाख चौहत्तर हजार उनहत्तर) रु० की योजनाओं की स्वीकृति। 14. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

15. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजटीय उपशीर्ष 0301 अन्तर्गत प्राप्त सहायक अनुदान राशि में से तृतीय त्रैमास में 160.47 करोड़ रुपये तथा अवशेष 87.50 करोड़ रुपये की विमुक्ति माह जनवरी 2015 में अग्रिम के रूप में करने के संबंध में। 15. स्वीकृत।

कृषि विभाग

16. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को गैर योजना मद में वेतन, वेतनादि के अलावा अन्य मद तथा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्व में 4 महीनों के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त वर्ष के अवशेष 8 महीनों के लिए वेतन मद में 5750.00 लाख रुपये, वेतनादि के अलावा मद में 600 लाख रुपये तथा परिसंपत्ति के निर्माण मद में 200 लाख रुपये कुल 6550.00 लाख रुपये (पैंसठ करोड़ पचास लाख रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा बजट उपबंध की सीमा में विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान की विमुक्ति की स्वीकृति। 16. स्वीकृत।

कृषि विभाग

17. श्री विनोद कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहटा सम्प्रति निलंबित को निगरानी विभाग, अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल (ट्रैपदल) के द्वारा योजना के अभिकर्ता श्री संजय कुमार से दिनांक-16.08.1996 को 2,000/- (दो हजार रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के प्रमाणित आरोपों के परिपेक्ष्य में सरकारी सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में।

17. स्वीकृत।

कृषि विभाग

18. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से संशोधित उद्ब्यय के आलोक में राशि 4556.72584 लाख रुपये (पैंतालीस करोड़ छप्पन लाख बहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी रु०) के विरुद्ध कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से राशि की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति।

18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय "मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (MoU) हस्ताक्षरित करने की अनुमति के संबंध में।

19. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

20. वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजनान्तर्गत ग्रामीण प्रतिष्ठान, बिरौली, समस्तीपुर के कर्मियों को वेतनादि, सेवा निवृत्त कर्मियों के बकाये वेतनान्तर की राशि एवं अन्य व्यय हेतु रु० 1,11,00,000/- (एक करोड़ ग्यारह लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।

20. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

21. गया जिलान्तर्गत खिजरसराय अंचल के मौजा-महकार, धाना सं०-10 के खाता सं०-68, खेसरा सं०-162/1141, रकबा-0.45 एकड़ राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु अनाबाद बिहार सरकार की भूमि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को प्रति डिसमिल रू० 55,087.00 (पचपन हजार सतासी) की दर से रू० 55,087.00 X 45= रू० 24,78,915.00 (चौबीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ पन्द्रह) सलामी तथा सलामी का 2 प्रतिशत आवासीय वार्षिक लगान रू०- 24,78,915.00x 2/100=रू० 49,578.30 (उनचास हजार पांच सौ अठहत्तर रू० तीस पैसा) का पच्चीस गुणा अर्थात् रू०-49,578.30x 25= रू० 12,39,457.50 (बारह लाख उनचालीस हजार चार सौ सनतावन रू० पचास पैसा) पूंजीकृत मूल्य अर्थात् कुल भुगतये राशि (सलामी तथा पूंजीकृत मूल्य) रू० 24,78,915.00 (चौबीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ पन्द्रह)+रू०-12,39,457.50 (बारह लाख उनचालीस हजार चार सौ सनतावन रू० पचास पैसा)= रू० 37,18,372.50 अर्थात् 37,18,373.00 (सैंतीस लाख अठारह हजार तीन सौ तिहत्तर) के भुगतान पर अन्तर्विभागीय सशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

21. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

22. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय एवं चकबंदी निदेशालय के लिए बिहार राजस्व लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली-2014 की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

22. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

23. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय एवं चकबंदी निदेशालय के लिए बिहार राजस्व प्रारूपक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली-2014 की स्वीकृति के संबंध में।

23. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

24. किशनगंज जिले के दिघल बैंक अंचल के मौजा—लोहागाढा के थाना सं०-84, खाता सं०-318, खेसरा सं०-1593 एवं 1595 एवं थाना सं०-82, खाता सं० 55, खेसरा सं०-58 की 70.89 एकड़ बिहार सरकार गैरमजरूआ खास भूमि (विवरणी-अनुलग्नक -I) तथा टेदागाछ अंचल के मौजा-चिचौड़ा के थाना सं०-78, खाता सं०-96, खेसरा सं०-390 एवं 397 की 75.88 एकड़ गैरमजरूआ बिहार सरकार भूमि (विवरणी-अनुलग्नक-II), कुल-146.77 एकड़ भूमि को रक्षित वन क्षेत्र घोषित करने हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण।

24. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

25. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदित 64 (चौंसठ) प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिये स्वीकृत राशि रूपये 23.3728 करोड़ से भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर 40 पशु चिकित्सालय निर्माण कराने की स्वीकृति के संबंध में।

25. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

26. राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अच्छादित करने के संबंध में।

26. इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि उपरोक्त शर्तों के रहते हुए भी राज्य सरकार की अ.जा./अ.ज.जा. के Group 'D' के कर्मी पात्र मान जाएंगे।